

अध्याय - II

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के परिणामी बजट का पुनरीक्षण

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने परिणामी बजट के निर्माण के लिए मापदण्डों पर सरकारी निर्देशों का पालन नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप परिणामी बजट में संसाधनों के मितव्ययी प्रयोग से प्राप्त सामान्य बचतों, बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों की अद्यतन स्थिति तथा राज्यों एवं कार्यान्वयन एजेंसियों के पास गैर-प्रयुक्त शेषों पर सूचना का गैर-समावेशन रहा। एम.एन.आर.ई. तथा राज्य नोडल एजेंसियों द्वारा अनुरक्षित आंकड़ों में विसंगतियां पाई गई, जो मंत्रालय द्वारा सहायता प्राप्त कार्यक्रमों पर सूचना के रूप में परिणामी बजट को अविश्वसनीय बनाता है।

2.1 प्रस्तावना

परिणामी बजट, जो भारत सरकार में 2005-06 के बजट से आरंभ किया गया था, मुख्य तौर पर वित्तीय बजटों के भौतिक आयामों तथा गत वर्षों में भौतिक निष्पादन पर संकेत करता है। परिणामी बजट न केवल मध्यवर्ती भौतिक परिणामों, जो कि आसानी से मापने योग्य हैं, पर परिकल्पित नजर रखता है बल्कि, परिणामों पर भी, जो कि बजटीय हस्तक्षेप का अंतिम उद्देश्य है। परिणामी बजट, संसाधनों के मितव्ययी प्रयोग, अल्प/गैर-उपयोगिता अर्थात् परियोजना/योजना के क्रियान्वयन में विलम्ब या गैर-कार्यान्वयन तथा समर्पण के कारण बचतों से प्राप्त/उत्पन्न सामान्य बचतों की सूचना को भी समाहित करेगा। जैसा कि अध्याय 1 की तालिका 1.1 में दर्शाया गया है, वर्ष 2016-17 के दौरान ₹ 9,997.8 करोड़ के बजट आवंटन के विपरीत ₹ 7,754.1 करोड़ की राशि व्यय की गई जिससे बजट का 22.44 प्रतिशत अव्ययित रहा।

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के परिणामी बजट की समीक्षा निम्न को जांचने के उद्देश्यों के साथ संचालित की गई:-

- क. क्या परिणामी बजट के निर्माण के लिए लागू कानून, इसके अंदर बनाए गए नियम व विनियम तथा सक्षम प्राधिकरण द्वारा जारी विविध निर्देशों और आदेशों का अनुपालन किया गया; और
- ख. क्या भौतिक लक्ष्यों की रिपोर्टिंग में विसंगतियां थी तथा क्या आंकड़े विश्वसनीय थे।

परिणामी बजट के विश्लेषण के लिए चयनित अवधि वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2016-17 थी। मंत्रालय 26 भिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं को समर्थन करता है जिनमें दो योजनाएं पवन ऊर्जा हेतु, एक योजना (पांच उप योजनाएं) लघु हाइड्रोपावर (एस.एच.पी.), 13 योजनाएं सौर ऊर्जा हेतु, पांच योजनाएं जैव-ऊर्जा हेतु, दो योजनाएं ऊर्जा की पहुँच हेतु तथा तीन योजनाएं सहायता कार्यक्रमों हेतु समाहित हैं।

इनमें से, दो योजनाओं/कार्यक्रमों अर्थात् एस.एच.पी. तथा बायोमास ऊर्जा/बगास सह-उत्पादन को परिणामी बजट के विस्तृत विश्लेषण हेतु चयनित किया गया।

2.2 लेखापरीक्षा प्राप्तियां

लेखापरीक्षा निष्कर्षों की आगे के पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

2.2.1 सरकारी निर्देशों से विचलन

वित्त मंत्रालय (एम.ओ.एफ.) के द्वारा परिणामी बजट 2016-17 की तैयारी हेतु मार्गनिर्देशों के अनुसार, परिणामी बजट की तैयारी हेतु वृहत् प्रारूप निम्न प्रकार था:

- क. कार्यकारी सार
- ख. प्रस्तावना
- ग. बजट प्राक्कलन का विवरण
- घ. सुधार उपाय तथा नीति पहल
- ङ. पिछले निष्पादन की समीक्षा
- च. वित्तीय समीक्षा
- छ. वैधानिक एवं स्वायत्त निकायों के निष्पादन की समीक्षा

एम.एन.आर.ई. द्वारा निर्मित परिणामी बजट 2016-17 की नमूना जांच में एम.ओ.एफ. द्वारा जारी मार्गनिर्देशों से निम्न विचलन उजागर हुए।

2.2.1.1 कार्यकारी सार का गठन न होना

एम.ओ.एफ. मार्गनिर्देशों के अनुसार, कार्यकारी सार में, वर्ष के दौरान भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की नियमित रूप से निगरानी करने के लिए मंत्रालय/विभाग द्वारा स्थापित निगरानी तंत्र तथा लोक सूचना प्रणाली का विवरण प्रमुखता से उजागर किया जाना चाहिए तथा जन सामान्य को सूचित किया जाना चाहिए। तथापि, यह देखा गया कि कार्यकारी सार, एम.ओ.एफ. मार्गनिर्देशों में निर्धारित के अनुरूप गठित नहीं था।

चयनित योजनाओं अर्थात् बायोमास एवं एस.एच.पी. परियोजनाओं के संबंध में, लेखापरीक्षा में पाया गया कि परियोजनाओं की प्रगति की स्थिति नियमित रूप से जांचने के लिए कोई निगरानी तंत्र नहीं था। किसी प्रकार के निश्चित निगरानी तंत्र की

अनुपस्थिति से मंत्रालय द्वारा अनुरक्षित आंकड़ों में पैरा 2.2.2 तथा 2.2.3 में चर्चा के अनुसार विसंगतियां पाई गईं।

2.2.1.2 मापदण्डों/मार्गनिर्देशों का पालन नहीं होना

परिणामी बजट 2016-17 की तैयारी हेतु मार्गनिर्देश, विभिन्न मापदण्डों को निश्चित/निर्धारित करता है जिन पर परिणामी बजट बनाया जाना था। लेखापरीक्षा ने पाया कि एम.एन.आर.ई. के परिणामी बजट में निम्न तालिका 2.1 में दर्शाये अनुसार निश्चित मापदण्डों पर निरीक्षणों/सूचनाओं को संकलित नहीं किया गया।

तालिका 2.1: परिणामी बजट के विविध मापदण्डों के अनुपालन की स्थिति

क्रम सं.	परिणामी बजट के मापदण्ड	लेखापरीक्षा निष्कर्ष	मंत्रालयों के जवाब तथा लेखापरीक्षा अवलोकन
1.	राज्यों और कार्यान्वयन एजेंसियों के पास गैर-प्रयुक्त शेष तथा बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों (यू.सी.) की स्थिति, परिणामी बजट में दर्शाई जानी थी।	वित्तीय पुनरीक्षण के अंतर्गत, एम.एन.आर.ई. ने केवल लम्बित यू.सी.एस. के वित्तीय वर्षवार ब्यौरे को दर्शाया और राज्य/कार्यान्वयन एजेंसियों/योजनावार ब्यौरे को दर्शाया नहीं था। 2016-17 के परिणामी बजट में दर्शाई गई लम्बित यू.सी. की स्थिति को केवल 2013-14 तक ही अद्यतन किया गया था ना कि 2015-16, जैसा कि एम.एन.आर.ई. के भुगतान एवं लेखा कार्यालय (पी.ए.ओ.) के पास उपलब्ध था। परिणामी बजट के अनुसार, 360 यू.सी. 2013-14 तक लम्बित दर्शाये गये हैं, जबकि एम.एन.आर.ई. के पी.ए.ओ. से प्राप्त सूचना के अनुसार, 627 यू.सी.एस. 2015-16 तक की अवधि के लिए लम्बित थे।	एम.एन.आर.ई. ने बताया (जुलाई 2016) कि योजनावार, एजेंसीवार तथा आयुवार यू.सी. को लेने और निगरानी हेतु एक प्रणाली थी। <i>लेखापरीक्षा अवलोकन:</i> तथ्य यह रहा कि यू.सी.एस. की योजनावार स्थिति यद्यपि उपलब्ध थी, को परिणामी बजट में प्रतिबिम्बित नहीं किया गया था।
2.	मंत्रालय को विशेषज्ञ एजेंसियों की सहायता से प्रासंगिक डाटा के एकत्रीकरण के लिए प्रणाली विकसित करनी थी।	जैसा कि पैरा 2.2.2 तथा 2.2.3 में वर्णित किया गया है, परियोजना के प्रवर्तन से संबंधित एम.एन.आर.ई. तथा राज्य नोडल एजेंसियों के डाटाबेस में विसंगतियां पाई गईं। यह दर्शाता है कि एम.एन.आर.ई. ने डाटा	उत्तर प्रतीक्षित था।

क्रम सं.	परिणामी बजट के मापदण्ड	लेखापरीक्षा निष्कर्ष	मंत्रालयों के जवाब तथा लेखापरीक्षा अवलोकन
		एकत्रित करने हेतु प्रभावी प्रणाली नहीं स्थापित की थी।	
3.	परिणामी बजट में, संसाधनों के मितव्ययी प्रयोग, योजना/परियोजना के कार्यान्वयन में विलम्ब अल्प/गैर-उपयोगिता के कारण बचत तथा अप्रचलित/निर्जीव परियोजना/योजना के कारण बचत या परियोजना/योजना के समापन के कारण निधियों (और निधियों की आवश्यकता नहीं है), से परिणामतः सामान्य बचतों के बारे में सूचना संकलित होनी चाहिए।	वित्तीय वर्ष 2014-15, 2015-16 तथा 2016-17 के दौरान, क्रमशः ₹539 करोड़, ₹58 करोड़ तथा ₹ 2,244 करोड़ की बचतें दृढ़ थीं। विनियोग लेखों (2014-15) के अनुसार, बचतों के लिए कारण, पर्याप्त प्रस्तावों की गैर-प्राप्ति, पूर्णता प्रमाणपत्रों के गैर-प्रस्तुतिकरण, संशोधित अनुमान (आर.ई.) स्तर पर कमी इत्यादि के कारण बताया गया। तथापि, ऐसी कोई सूचना 2016-17 के परिणामी बजट में वर्णित नहीं की गई।	एम.एन.आर.ई. ने बताया (जून 2017) कि व्यय की समय-समय पर समीक्षा की गई तथा बजट का विनियोग पुनर्विनियोग उसके अनुसार प्रारंभ किया गया। <i>लेखापरीक्षा अवलोकन:</i> तथ्य यह रहता है कि बचत पर सूचना को परिणामी बजट में नहीं प्रतिबिम्बित किया गया जैसा आवश्यक था।

2.2.2 लघु जल शक्ति कार्यक्रम

मंत्रालय के उद्देश्यों में एक, 12^{वीं} योजना के अंत तक लगभग 7,000 एम.डब्ल्यू. के लघु हाइड्रो पावर (एस.एच.पी.)² की कुल स्थापित क्षमता को प्राप्त करना था। इस उद्देश्य हेतु, एस.एच.पी. कार्यक्रम का ध्यान उपकरणों की लागत कम करने इसकी विश्वसनीयता में बढ़ोतरी तथा क्षेत्रों में परियोजनाओं की स्थापना जो कि क्षमता उपयोगिता के मामले में उच्चतम लाभ/फायदे देता है, पर केन्द्रित है। एम.एन.आर.ई. ने एस.एच.पी. की क्षमता क्षेत्रों के डाटाबेस का सृजन किया तथा 25 एम.डब्ल्यू. तक परियोजनाओं के लिए 19,749.44 एम.डब्ल्यू. की कुल क्षमता के साथ 6,474 क्षमता क्षेत्रों की पहचान की गई है।

एम.एन.आर.ई., राज्य सरकार के साथ ही साथ निजी, सहकारी तथा संयुक्त क्षेत्रों को नए एस.एच.पी. परियोजनाओं की स्थापना करने के लिए, एस.एच.पी. के लिए नवीन स्थलों की पहचान के लिए संसाधन आकलन तथा समर्थन तथा सरकारी क्षेत्र में मौजूदा

² 25 एम डब्ल्यू तक प्रति स्टेशन क्षमता की जल शक्ति परियोजनाएं।

एस.एच.पी. परियोजनाओं के आधुनिकीकरण और नवीकरण के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सी.एफ.ए.)³ प्रदान करती है।

2012-13 से 2016-17 की अवधि के दौरान एस.एच.पी. के अंतर्गत परिव्यय तथा वास्तविक व्यय को नीचे तालिका 2.2 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.2: एस.एच.पी. के अंतर्गत वित्तीय लक्ष्य तथा उपलब्धियां

(₹ करोड़ में)

वर्ष	व्यय	वास्तविक व्यय
2012-13	159.00	158.93
2013-14	123.18	122.82
2014-15	108.00	107.99
2015-16	105.05	104.99
2016-17	125.00	124.70


लेखापरीक्षा ने एम.एन.आर.ई. के परिणामी बजट में दिखाए गए प्रदेशों के आकलन, एस.एच.पी. के निष्पादन की जानकारी तथा परियोजनाओं की समीक्षा में कमियां देखी जिनकी चर्चा निम्न है।

2.2.2.1 मात्रात्मक प्रदेय/अनुमानित भौतिक निर्गम (लक्ष्य)

परिणामी बजट के अनुसार, 2012-13 और 2013-14 के लिए मात्रात्मक प्रदेय क्रमशः 350 एम.डब्ल्यू. तथा 300 एम.डब्ल्यू. था जबकि 2014-15, 2015-16 तथा 2016-17 प्रत्येक के लिए यह 250 एम.डब्ल्यू. था। तथापि, वित्तीय वर्ष के लिए मात्रात्मक प्रदेय (लक्ष्य तय करना) के आकलन का आधार अभिलेख में उपलब्ध नहीं था। निर्धारित लक्ष्य के प्रति एम.एन.आर.ई. की उपलब्धियां चार्ट 2.1 में दर्शाई गई है।

³ विभिन्न श्रेणियों के प्रोजेक्टों के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सी.एफ.ए.), एक विशेष क्षेत्र को प्रोत्साहित/विकसित के लिए पूंजी सब्सिडी सहायता अनुदान के रूप में दिया जाता है।

चार्ट 2.1 : 2012-17 के लिए लक्ष्य तथा उपलब्धियां



स्रोत: एम.एन.आर.ई. की वेबसाइट और परिणामी बजट के अनुसार लक्ष्य एवं प्राप्ति/उपलब्धियां

चार्ट से देखा जा सकता है कि 2014-15 के अतिरिक्त, एम.एन.आर.ई. वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2016-17 तक के किसी भी वर्ष में निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में असमर्थ था। लक्ष्य प्राप्ति में कमी 2012-13 में 32 प्रतिशत, 2013-14 में 43 प्रतिशत 2015-16, 12 प्रतिशत और 2016-17 में 58 प्रतिशत थी। लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि मंत्रालय ने आगामी वर्ष 2016-17 के लिए निर्धारित लक्ष्य को 250 एम.डब्ल्यू. से 150 एम.डब्ल्यू. तक संशोधित किया। तथापि, तब भी संशोधित लक्ष्य की प्राप्ति में 29 प्रतिशत की कमी थी। यह स्पष्ट था कि लक्ष्यों को सभी प्रासंगिक तथा प्रत्याशित कारकों को ध्यान में रखकर एक यथार्थवादी तरीके में निर्धारित नहीं किया गया था। अतः लक्ष्य, उपलब्धि के माप या मूल्यांकन हेतु व मानक प्रदान करने के उनके उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सके।

एम.एन.आर.ई. ने बताया (अगस्त 2017) कि एस.एच.पी. परियोजनाओं का वास्तविक कार्यान्वयन, राज्य नीतियों तथा गतिविधियों द्वारा शासित किया जाता है जैसा कि एस.एच.पी. परियोजनाओं को स्थापित करने का निर्णय, निजी विकासकों से बोलियों का आमंत्रण, परियोजनाओं का आबंटन, विविध अनुमतियां भूमि अधिग्रहण इत्यादि सभी संबंधित राज्य सरकार द्वारा की जाती है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि एस.एच.पी. की निर्माण अवधि, (सामान्यतः लम्बी होती है) नदी/प्रवाह में निर्माण तथा पर्वतीय व दूरस्थ क्षेत्रों में अवस्थिति/स्थान तथा अप्रत्याशित परिस्थितियों जैसे बारम्बार भूस्खलन ढलान विफलता भूवैज्ञानिक आश्चर्य, बर्फबारी या दीर्घकालिक मानसून के कारण लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया गया। पर्याप्त निष्क्रमण सुविधाओं की गैर-उपलब्धता से भी परियोजना की शुरुआत की प्रक्रिया में देरी हुई। एम.एन.आर.ई. ने आगे बताया

(अगस्त 2017) कि भौतिक लक्ष्यों को निधियों के वार्षिक आबंटन के आधार पर प्रत्येक वर्ष पुनः मिलान/संशोधित किया गया था।

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि परियोजना के कार्यान्वयन और दिए जाने के लिए लक्ष्यों का आकलन, राज्य सरकार तथा अन्य सीमित करने वाले कारको द्वारा सांविधिक मंजूरी की प्राप्ति जैसे सभी प्रत्याशित कारको को ध्यान में रखना समाहित था, सभी प्राथमिक एजेंसियों/विभागों के परामर्श से एक यथार्थवादी तरीके में तैयार किया जाना आवश्यक था।

2.2.2.2 चालू की गई एस.एच.पी. परियोजना के डाटा में विसंगतियां

2014-17 के दौरान महाराष्ट्र एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (एम.ई.डी.ए.) द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के रिकार्ड/आंकड़ों का नमूना जांच में एम.ई.डी.ए. तथा एम.एन.आर.ई. द्वारा प्रदान रिकार्ड के मध्य विसंगतियां पाई गईं जैसा कि नीचे तालिका 2.3 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.3: वर्ष 2014-17 के दौरान शुरू की गई एम.ई.डी.ए. तथा एम.एन.आर.ई. द्वारा अनुरक्षित एस.एच.पी. परियोजनाओं का विवरण

वित्तीय वर्ष	एम.ई.डी.ए. का विवरण		एम.एन.आर.ई. का विवरण	
	परियोजना	क्षमता (एम.डब्ल्यू.)	परियोजना	क्षमता (एम.डब्ल्यू.)
2014-15	1. वज्रा III एच.ई.पी.	1.50	फाटकवाड़ी, कोल्हापुर	8.00
	2. पेंच कमाठी खरी एल.बी.सी. एच.ई.पी.	4.40		
कुल		5.90		8.00
2015-16	1. निलवांडे निम्न स्तर एच.ई.पी. तालुका : अकोले, जिला अहमदनगर	7.00	1. मुकाने, नासिक	1.45
	2. बारवी एच.ई.पी. (4.5 एम.डब्ल्यू.), जिला थाने	4.50	2. वाघुर, जलगांव	1.50
	3. हेतावाने एच.ई.पी. तालुका: पेन जिला रायगढ़	1.50		
	4. उरमोदी, ए/पी अम्बावाडे, सतारा	3.00		
कुल		16.00		2.95
2016-17	1. वाघुर, जलगांव	1.50	1. हेतावाने, रायगढ़ 2. मुल्ला बाँध राउरी, अहमदनगर	1.50 4.80
	2. चिकोतरा, कोल्हापुर	1.80		
	3. कानहेर लेफ्ट बैंक, सतारा	1.20		
कुल		4.50		6.30

2018 का प्रतिवेदन संख्या 2

एम.ई.डी.ए. तथा एम.एन.आर.ई. द्वारा अनुरक्षित किए गए डाटाबेस में अंतर के परिणाम में क्रमशः 2014-15 तथा 2016-17 के दौरान 2.1 एम.डब्ल्यू. तथा 1.80 एम.डब्ल्यू. की अति उपलब्धि का चित्रण हुआ तथा परिणामी बजट 2016-17 में दर्शाए गए एस.एच.पी. के स्थिति में 13.05 एम.डब्ल्यू. की अल्प उपलब्धि हुई। वास्तव में, दो एस.एच.पी. नामतः वाघुर (जलगांव) तथा हेतावाने (रायगढ़) के सिवाय दो सेटो में उपलब्ध डाटा का विवरण समीक्षा के अंतर्गत तीन सालों में किसी में भी मेल नहीं खाता।

समान रूप से, 2014-17 के दौरान पंजाब एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (पी.ई.डी.ए.) की चालू परियोजनाओं का रिकार्ड/डाटा के नमूना जांच में भी, जैसे कि पी.ई.डी.ए. एवं एम.एन.आर.ई द्वारा अनुरक्षित किया गया, चालू परियोजना की संख्या में विसंगतियां पाई गईं जैसा कि तालिका 2.4 में नीचे बताया गया है:

तालिका 2.4: वर्ष 2014-17 के दौरान चालू पी.ई.डी.ए./एम.एन.आर.ई. द्वारा अनुरक्षित एस.एच.पी. परियोजना का विवरण

वित्तीय वर्ष	पी.ई.डी.ए. का विवरण		एम.एन.आर.ई. का विवरण	
	परियोजना	क्षमता (एम.डब्ल्यू.)	परियोजना	क्षमता (एम.डब्ल्यू.)
2014-15	1. सिद्धावन हाइड्रो पावर प्राइवेट लिमिटेड सिद्धावन, लुधियाना	0.70	शून्य	-
	2. अटलांटिक पावर (फूला) प्राइवेट लिमिटेड भटिंडा	0.60		
कुल		1.30		0
2015-16	शून्य		1. लुधियाना एस.एच.पी.	0.70
			2. फूला एस.एच.पी.	0.60
			3. आर.डी. 14350	6.00
			4. आर.डी. 20500	3.80
			5. बीबीवाला	0.40
			6. कुंजर	2.00
कुल		0		13.50
2016-17	1. एस.के.आर. हाइड्रो पावर परियोजना जेनरेटर प्राइवेट लिमिटेड, भटिंडा, बीबीवाला	0.40	शून्य	-
	2. गिल एक्वा हाइड्रो पावर जेनरेशन कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड माधोपुर आर.डी. 14350 संयुक्त	6.00		

वित्तीय वर्ष	पी.ई.डी.ए. का विवरण		एम.एन.आर.ई. का विवरण	
	परियोजना	क्षमता (एम.डब्ल्यू.)	परियोजना	क्षमता (एम.डब्ल्यू.)
	3. गिल एक्वा हाइड्रो पावर जेनरेशन कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड माधोपुर आर.डी. 20500 पठानकोट	3.80		
कुल		10.20		0

इस प्रकार, 2014-15, 2015-16 तथा 2016-17 के दौरान वास्तविक भौतिक निर्गमों (लक्ष्य), परिणामी बजट में क्रमशः 1.30 एम.डब्ल्यू. तक अल्पकथित, 13.50 एम.डब्ल्यू. तक अतिकथित तथा 10.20 एम.डब्ल्यू. तक अल्पकथित था।

एम.एन.आर.ई. तथा राज्य एजेंसियों द्वारा अनुरक्षित आंकड़ों में विसंगतियां परिणामी बजट के निर्माण के लिए आंकड़ों के संकलन और एकत्रण की व्यवस्था में कमी को दर्शाती/संकेत करती है। स्पष्ट रूप से, परिणामी बजट में दर्शाए गए डाटा की सटिकता सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

एम.एन.आर.ई. ने बताया (अगस्त 2017) कि एम.एन.आर.ई. द्वारा रिपोर्ट के अनुसार तथा परियोजना विकासकों द्वारा सूचना के अनुसार परियोजना भौतिक रूप से पूर्ण हो गया था। तथापि, परियोजना का प्रारंभ होना/निष्पादन जांच बाद के स्तरों पर किया गया होगा। एम.एन.आर.ई. तथापि इस बात पर सहमत था कि भविष्य में केवल चालू परियोजना ही रिपोर्ट किए जाएंगे। एम.एन.आर.ई. ने आगे बताया कि एस.एच.पी. में राज्यवार लक्ष्य निर्धारित नहीं थे और निधियों के आबंटन के आधार पर भौतिक लक्ष्य प्रत्येक वर्ष पुनः मिलान/संशोधित किए गए थे।

इस प्रकार, मंत्रालय की गतिविधियों के परिणामों और मापने योग्य निर्गमों के एक सूचक के रूप में परिणामी बजट के उद्देश्य पूरी तरह से प्राप्त नहीं किए गए।

2.2.3 खोई सह-उत्पादन एवं बायोमास ऊर्जा

निजी क्षेत्र परियोजना के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सी.एफ.ए.), परियोजना की जांच तथा वाणिज्यिक उत्पादन के घोषणा एवं सफल प्रारंभ के बाद निर्गत कर दी गई। बी.ओ.ओ.टी./बी.ओ.एल.टी. माडल के माध्यम से राज्य सरकार उपक्रम/राज्य सरकार संयुक्त उद्यम कम्पनी द्वारा कार्यान्वित सहायक/निजी क्षेत्र सुगर मिल में खोई सह-उत्पादन परियोजनाओं तथा सहायक/निजी क्षेत्र चीनी मिलों द्वारा सह-उत्पादन परियोजनाओं के मामले में, योग्य सी.एफ.ए. का 50 प्रतिशत अग्रिम प्रदान की गई तथा शेष 50 प्रतिशत परियोजना के सफल प्रारंभ तथा निष्पादन जांच के पश्चात निर्गत की जानी थी।

2012-13 से 2016-17 तक की अवधि के दौरान एस.एच.पी. के अंतर्गत वित्तीय व्यय और वास्तविक खर्च नीचे तालिका 2.5 में दिया गया है।

तालिका 2.5: खोई सह-उत्पादन एवं बायोमास ऊर्जा परियोजना के अंतर्गत वित्तीय लक्ष्य एवं उपलब्धियां


(₹ करोड़ में)

वर्ष	व्यय (आर.ई.)	वास्तविक व्यय
2012-13	81.00	63.87
2013-14	34.54	34.53
2014-15	25.00	25.00
2015-16	29.00	28.03
2016-17	17.00	10.29

2.2.3.1 चालू परियोजना हेतु निगरानी एवं आंकड़ा एकत्रीकरण तंत्र

एम.एन.आर.ई. ने चालू परियोजना के आंकड़ा एकत्रीकरण एवं निगरानी हेतु तंत्र स्थापित नहीं किया। लेखापरीक्षा ने एम.एन.आर.ई. एवं एस.एन.ए. के बीच आंकड़ों की विसंगतियां पाई। निर्धारित लक्ष्यों एवं वास्तविक लक्ष्यों के प्रति परिणामी बजट में वर्णित उपलब्धियों को चार्ट 2.2 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.2: वर्ष 2012-17 के दौरान लक्ष्य एवं उपलब्धियां/प्राप्तियां



टिप्पणी: 2014-15 एवं 2015-16 (फरवरी 2016) के लिए उपलब्धियां परिणामी बजट से तथा 2016-17 के लिए एम.एन.आर.ई. की वेबसाइट से हैं।

इस प्रकार, वर्ष 2014-15 तथा 2015-16 के लिए परिणामी बजट में एम.एन.आर.ई. द्वारा रिपोर्ट की गई उपलब्धियां अधिक दिखाई गई थी। लक्ष्यों की उपलब्धि में वास्तव में कमी वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान 238.05 एम.डब्ल्यू., 2015-16 में 95.15 एम.डब्ल्यू. तथा 2014-15 में 104.33 एम.डब्ल्यू. थी।

लक्ष्यों की प्राप्ति में महत्वपूर्ण कमी यह सुझाता है कि एम.एन.आर.ई. ने वास्तविक तरीके में अपने लक्ष्यों को नहीं आंका, तथा पूर्व वित्तीय वर्ष (2014-15) के लक्ष्य को आगामी वित्त वर्ष (2015-16 एवं 2016-17) के लिए उसके प्रति उपलब्धि को विचार में लाए बिना दोहराया गया था। आगे, एम.एन.आर.ई. में अभिरक्षित दस्तावेज के अनुसार डाटा तथा एम.एन.आर.ई. के परिणामी बजट/वेबसाइट में वर्णित उपलब्धियों के डाटा के बीच में विसंगतियों ने एम.एन.आर.ई. द्वारा उसके परिणामी बजट में सूचित आंकड़ों की यथार्थता पर संशय किया है।

2.3 निष्कर्ष

एम.एन.आर.ई. ने परिणामी बजट की तैयारी के लिए मापदण्डों पर विद्यमान निर्देशों से विचलन किया। एम.एन.आर.ई. के परिणामी बजट में संसाधनों के मितव्ययी उपयोग के परिणामतः सामान्य बचतों, बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों की वर्तमान स्थिति तथा राज्यों व कार्यान्वयन एजेंसियों से गैर-व्यय के बारे में सूचना नहीं दी। आंकड़ों में विसंगतियां थी जिससे निर्मित वित्तीय व्यय से निर्गम को माप करने के एक यंत्र के रूप में परिणामी बजट की उपयोगिता को अशक्त किया।

मामला मंत्रालय को भेजा गया (अक्टूबर 2017); इसका उत्तर दिसम्बर 2017 तक प्रतीक्षित था।

